

प्रेस नोट दिनांक-11.10.2019

(1). आज दिनांक-11.10.2019 को श्री शेषमणि पाण्डेय जिलाधिकारी चित्रकूट एवं श्री मनोज कुमार झा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में ब्लॉक परिसर मानिकपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महोदय ने दिनांक-21.10.2019 को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान करने हेतु अपील की गयी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्यक्रम में उपस्थित आम जन मानस से बिना किसी के डर के स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से मतदान करने की अपील की।

कार्यक्रम में डॉ० महेन्द्र सिंह मुख्यविकासाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी चित्रकूट, उपजिलाधिकारी मानिकपुर, श्री के०के० मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर, श्री केशव प्रसाद दुबे प्रभारी एण्टी डकैती टीम, श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी पीआरओ० पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र की आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आमजनमानस एवं अन्य अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के कुशल निर्देशन में आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित के साथ गिरफ्तार किया।

(i). वरि०उ०नि० श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा फॉरेस्ट डाक बंगला के पास से अभियुक्त किस्सू सोनकर पुत्र पुन्नूलाल निवासी शिवनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु०अ०सं० 145/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. वरि०उ०नि० श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
2. मुख्य आरक्षी महेन्द्र सिंह

(ii). उ०नि० श्री प्रमोद कुमार मौर्या थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा गदगलिया मोड़ से अभियुक्त धनपत मवईया पुत्र लाला निवासी पुराना बहिलपुरवा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मु०अ०सं० 54/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार मौर्या थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी चन्दन आनंद

(3). आज दिनांक 11.10.2019 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री मनोज कुमार झा द्वारा पुलिस लाईन में शुक्रवार की परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा बाद सलामी पुलिस लाइन्स में स्थापित कार्यालयों/बैरकों का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को /आवास/-निम्नलिखित निर्देश दिये गये:

1. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्कूटों के प्रशिक्षण की परेड का निरीक्षण कर परेड में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। (आरटीसी)
2. परिवहन शाखा में स्थित गाडियों को चेक किया गया तथा उनके सही रखरखाव हेतु निर्देशित-किया गया।
3. पुलिस लाइन्स आवासीय कालोनीशौचालय/बैरक/ का भ्रमण कर प्रतिसार निरीक्षक को साफ सफाई कराने हेतु निर्देशित किया गया।
4. पुलिस लाईन में प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षुओं के भोजनालय में जाकर भोजन की गुणवत्ता की जांच की गयी।
5. क्वार्टर गार्ड में जाकर सलामी लेकर आर्मरी का निरीक्षण किया गया।
6. आदेश कक्ष में जाकर पुलिस लाइन्स में उपबल्ध समस्त रजिस्ट्रों की चेकिंग की गयी व रजिस्ट्रों के रख रखाव हेतु निर्देशित किया गया-

परेड में श्री रजनीश कुमार यादव क्षेत्राधिकारी नगर, श्री विजयेन्द्र द्विवेदी क्षेत्राधिकारी राजापुर, श्री इशतेयाक अहमद क्षेत्राधिकारी मऊ, श्री रमाशंकर प्रसाद प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स, श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी पीआरओ, पुलिस अधीक्षक 0 आर0टी0सी0 प्रभारी एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 07/15 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त प्रेमलाल पुत्र मिठाईलाल निवासी अमचुर नेरूआ थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार यादव थाना मारकुण्डी
2. आरक्षी सुब्बालाल

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के परिपत्र संख्या-53/18 के अनुपालन के क्रम में श्री मनोज कुमार झा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशानुसार आज दिनांक-11.10.2019 को पुलिस लाइन चित्रकूट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्कूट आरक्षियों को श्री बृजेश

कुमार यादव प्रभारी सोशल मीडिया सेल तथा आरक्षी देवेन्द्र चौधरी द्वारा वर्चुअल क्लास के माध्यम से पुलिस के लिए जारी की गयी सोशल मीडिया पॉलिसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देकर अक्षरशः अनुपालन हेतु निर्देश दिए गए।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के कुशल निर्देशन में अपहृत/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी शिवरामपुर तथा उनकी टीम द्वारा रास्ता भटके वृद्ध को सकुशल परजनों के सुपुर्द किया।

उल्लेखनीय हैं कि चौकी प्रभारी शिवरामपुर अपनी टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि लैना बाबा मोड़ के पास एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो मानसिक रूप से विकसित लग रहा था। पुलिस टीम द्वारा उससे पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम रामचन्द्र निवासी लसड़ा थाना पैलानी जनपद बाँदा बताया तथा बताया कि वह रास्ता भटक गया हैं। चौकी प्रभारी वृद्ध को चौकी पर लाए तथा उसके परिजनों को सूचना देकर बुलाया परिजनों के आने पर उनके सुपुर्द किया गया। परिजनों ने बताया कि यह मानसिक रूप से विकसित है जो चित्रकूट घुमने आया था रास्ता भटक गया।

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी शिवरामपुर
2. मुख्य आरक्षी चन्द्रकेश पाण्डेय
3. आरक्षी शिवनरेश